राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग–3) शासन सचिवालय, जयपुर
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

क्रमांकः एफ 40(106)ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेन्स PMKSY / पार्ट–5 / 2018 / RK–011जयपुर दिनांकः 17 OCT 2019

कार्यशाला कार्यवाही विवरण

दिनांक 04.10.2019 को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 40(106)ग्रावि / नरेगा / कन्वर्जेन्स PMKSY / पार्ट–5 / 2018 / RK–01125 जयपुर दिनांक 26.09.2019 के क्रम में इन्दिरा गांधी पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास सरंस्थान में **श्री विश्राम मीणा IAS अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस** की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया।

कार्यशाला में **श्री अरविन्द सक्सैना, अधिशाषी अभियन्ता** ईजीएस द्वारा जीआईएस प्लानिंग, सिक्योर सॉफ्ट एवं मोबाईल मॉनीटरिंग सिस्टम का कार्यशाला में उपस्थिति सम्भागियों को सघन प्रशिक्षण दिया गया। (उपस्थित संम्भागियों का विवरण परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।) कार्यशाला में जिला अलवर, चूरू, सवाईमाधोपुर, जयपुर इत्यादि से अभियन्ता / कम्प्यूटर कार्मिक जो जी.आई.एस प्लानिगं के कार्य के लिए जिला स्तर पर उत्तरदायी हो, को नही भिजवाया गया। जबकि विभाग द्वारा अपने पत्र के द्वारा जिले से दो उत्तरदायी कार्मिको भिजवाने हेतु लिखा गया था।

कार्यशाला में निम्न निर्देश दिये गये।

- **GIS Based INRM Planning**
    1. प्रत्येक चयनित दो–दो ग्राम पंचायतो के विकास हेतु नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत समस्त गतिविधियों को चिहिन्त कर वर्षवार प्राथमिकता तय किया जाना।
    2. ग्राम पंचायत के वाटर बजट के अनुसार जल के आवश्यक / उपलब्धता के अनुरूप जल सग्रंहण / संचयन सरचनाओं को क्षेत्र की भौगलिक परिस्थिति के अनुसार चिहिन्त किया जाना है।
    3. योजनान्तर्गत पात्र समस्त व्यक्ति लाभार्थी को चिहिन्त कर उनके लिए आवश्यक गतिविधियों को प्रस्तावित करना।
    4. प्रत्येक ग्राम पंचायत की .KML File जिसमें वर्षवार श्रेणीवार अलग–अलग Sub folder हो तथा Polygon, Line & Point Features हो, तैयार कर एम.आई.एस पर Po Login से अपलोड कराया जाना। इस हेतु राज्य स्तर से मॉडल प्लान उदाहरण के रूप में तैयार कर जिलो को ई–मेल से भिजवाया जा चुका है साथ ही कार्यशाला के दौरान भी विस्तृत प्रशिक्षण दिया गया।
    5. उक्त प्लान दिनांक 20.10.2019 तक पंचायत समिति स्तर से अपलोड कराया जाकर दिनांक 24.10.2019 तक जिला स्तर से जॉच के उपरान्त एम.आई.एस पर Verified किया जाना।
    6. उपरोक्त प्लान अपलोड करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि तैयार की गई कार्य योजना Saturation Mode में है।

Scanned by CamScanner

7. GIS Based INRM Plan की .KML File यदि निर्धारित अवधि में PO Login से अपलोड नहीं किया जाता है तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टर के स्तर से सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

- **सिक्योर सॉफ्ट**

1. Secure Soft में Project Details के पार्ट 2 (Details – 2) में विभागीय निर्देशों के अनुरुप प्रत्येक कार्य की एस्टीमेट रिपोर्ट तैयार कर अंकित किये जाने के निर्देश पूर्व में दिये गये थे। परन्तु इसकी पालना नहीं की जा रही है एवं Irrelevent note अंकित किया जा रहा है। जबकि यह कार्य से सम्बन्धित एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें कार्य के मानक, उपयोगिता, वर्तमान स्थिति इत्यादि के सम्बन्ध में टिप्पणी होनी चाहिए। उक्त रिपोर्ट के अभाव में वित्तीय स्वीकृति जारी किया जाना विभागीय निर्देशों के अनुसार उचित नहीं है।

2. पीओ लॉगिन से (ब्लॉक स्तर) कार्य की तकनीकी स्वीकृति मय तकमीना एवं सम्बन्धित समस्त दस्तावेजों की पूर्ति की जाकर ही जिला स्तर पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों हेतु भिजवाया जाना। यह पाया गया है कि बार–बार एक ही कार्य का प्रस्ताव रिवर्ट/ टीएस केन्सिल किया जा रहा है, तथा कार्यक्रम अधिकारी स्तर से प्रस्ताव भेजे जाने से पूर्व, जॉच नहीं की जा रही है।

3. यदि दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की जाती है, तो जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलेक्टर के स्तर से सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

- **मोबाईल मानिटरिंग सिस्टम**

1. विभागीय निर्देशों के क्रम में प्रत्येक जिले की 40 ग्राम पंचायतों में मोबाईल मानिटरिंग सिस्टम लागू किया जाना है। इस हेतु आगामी 10 दिवस में पंचायतो का चयन कर, इन ग्राम पंचायतों में मस्टररोल में उपस्थिति मोबाईल एप के माध्यम से ही भरी जावे।

अन्त में कार्यशाला सधन्यवाद समाप्त हुई।

(अरविन्द सक्सैना)
अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
2. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा।
3. जिला कार्यक्रम समन्वयक ईजीएस एवं जिला कलेक्टर समस्त।
4. अति0 जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त।
5. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस।
6. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त राजस्थान।
7. एमआईएस सैल में भेजकर लेख है कि विभागीय बेवसाईट/सम्बन्धितों को ईमेल/अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस

D:\arvind sir (Bhup)\Letter.docx.doc

Scanned by CamScanner